



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-15092025-266168
CG-OR-E-15092025-266168

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4048]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2025/भाद्र 24, 1947

No. 4048]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2025/BHADRA 24, 1947

रेल मंत्रालय
[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]
अधिसूचना
भुवनेश्वर, 15 सितम्बर, 2025

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20ई के तहत सूचना

का.आ. 4163(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 (क) की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 28 मार्च 2025, में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पूर्व तट रेलवे) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1521(अ) 28 मार्च 2025 द्वारा उक्त अधिनियम से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को ओडीशा राज्य के सम्बलपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात, “सरला-शासन के बीच तीसरी और चौथी लाइन (8 किमी)” के निष्पादन अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालना के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों अर्थात् “प्रमेय” (ओडीआ- भूबनेस्वर संस्करण) और “द टाइम्स ऑफ इंडिया” (अंग्रेजी – भूबनेस्वर संस्करण) तारीख 12 अप्रैल 2025, को प्रकाशित किया गया था।

और, सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त हुए थे, सक्षम अधिकारी द्वारा उन आक्षेपों की सुनवाई की गयी एंव उक्त अधिनियम की धारा 20वाँ के अनुसरण में आदेश पारित कर दिये गए हैं।

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम धारा 20ई की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की है की उपावद्ध अनुसूची भूमि विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

अतः यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशित होने पर एससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लग्नों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जायेगी।

अनुसूची

पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत विशेष रेल पेरियोजना “सरला-शासन के बीच तीसरी और चौथी लाइन (8 किमी)” सम्बलपुर जिला ओडीशा राज्य के लिए अधिग्रहण किए जाने के लिए संरचना या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला का नाम : सम्बलपुर							
क्रमिक संख्या	गाँव का नाम	खाता संख्या	खसरा/प्लाट नं	कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिग्रहित क्षेत्र जाने वाली (एकड़ में)	भूमि का किसम	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पाव पाली	141/196	315	0.720	0.225	घर	संगीता अग्रवाल स्वा: गोपाल लाल अग्रवाल जा: बैश्य वा: रेलवे स्टेशन के पास, था-शासन, जी-संबलपुर
2	पाव पाली	141/189	316	0.250	0.090	पतित	कैलाश कुमार अग्रवाल पी: राम चंद्र अग्रवाल जा: बोनिया वा: राणीखिंडा, था- शासन, जिला संबलपुर
3	पाव पाली	89	317	0.210	0.065	घर	मदन मोहन अग्रवाल पी: जयलाल अग्रवाल जा: मारवाड़ी वा: अपना गाँव
4	पाव पाली	141/136	319	0.400	0.195	माल खारि पानी एक दोफ़सली	लक्ष्मीबाई अग्रवाल स्वा: मदन मोहन अग्रवाल वा:/था शासन जी संबलपुर
कुल :-				1.580	0.575		
5	राणीखिंडा	469	702	0.260	0.026	माल साधारण	हीरा छतर पी: गोपीनाथ पोढ़, गौरी पोढ़ स्वा: गोपीनाथ पोध जा: गउड वा: पावपाली
कुल :-				0.260	0.026		
कुल योग :				1.840	0.601		

क्रमिक संख्या	गाँव का नाम	अधिग्रहित क्षेत्र जाने वाली (एकड़ में)
1	पाव पाली	0.575
2	राणीखिंडा	0.026
	कुल	0.601

[फा. सं. पूतरे-नि-एलए- सरला-सासन तीसरी और चौथी लाइन/20ई]

अजय कुमार सामल, मुख्य अभियन्ता (निर्माण -II)

MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 15th September, 2025

NOTICE UNDER SECTION 20E OF THE RAILWAY ACT, 1989

S.O. 4163(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (East Coast Railway, Construction Organization), Notification number, **S.O. 1521(E)**, dated 28th March, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated: 10th September, 2024 (here in after referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)(here in after referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, “**3rd and 4th Line between Sarla-Sason (8 Km)**” in Sambalpur District in the State of Odisha .

And whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspapers namely “PRAUMEYA” in Odia (Bhubaneswar Edition), and “The Times of India” in English (Bhubaneswar Edition), dated: 12 April, 2025 under sub section (4) of section 20A of the said Act.

And whereas, objections were received; Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of section 20 D of the said Act.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government here by declares that on publication of the notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDEULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project, namely “**3rd and 4th Line between Sarla-Sason (8 Km)**” in Sambalpur District in the State of Odisha. 2 villages are in Sambalpur Tehsil of District Sambalpur in the State of Odisha under Competent Authority the Spl.

Land Acquisition Officer, Sambalpur, in the district of Sambalpur in the State of Odisha.

District : Sambalpur							
SI No.	Name of Village	Khata No.	Khasra/ Plot No.	Total Area (In Acre)	To be Acquired Area (In Acre)	Kisam of Land	Tanent
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pab Pali	141/196	315	0.720	0.225	GHAR	Sangita Agrawal, Swa- Gopal Lal Agrawal, Ja- Baisya, Ba- Railway stationpakha, Tha- Sason, Ji- Sambalpur
2	Pab Pali	141/189	316	0.250	0.090	PATITA	Kailash Kumal Agrawal, Pi- Ram Chandra Agrawal, Ja- Bania, Ba- Ranikhinda, Tha- Sason, Ji- Sambalpur
3	Pab Pali	89	317	0.210	0.065	GHAR	Madan Mohan Agrawal, Pi- Jayalal Agrawal, Ja- Marwadi, Ba- Nijagaon

4	Pab Pali	141/136	319	0.400	0.195	MAL KHARI PANI EKA DOFASALI	Laxmibai Agrawal, Swa- Madan Mohan Agrawal, Ba-/Tha- Sason , Ji- Sambalpur
			Total :-	1.580	0.575		
5	Ranikhinda	469	702	0.260	0.026	MAL SADHARANA	Hira Chhatara ,Pi- Gopinatha Podha, Gouri Podha, Swa- Gopinatha Podha, Ja- Gauda, Ba- Pabpali
			Total :-	0.260	0.026		
			Gross Total :	1.840	0.601		

SI No.	Village Name	To be acquired Area (In Acre)
1	Pab Pali	0.575
2	Ranikhinda	0.026
	Total	0.601

[F. No. ECoR/Con/LA/Sarla-Sason 3rd & 4th line/20E]

AJAYA KUMAR SAMAL Chief Engineer (Con-II)